



# उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

## Uttarakhand Open University

Ref. No. UOU/R/कार्यपा-/41/2024

Date ..... 30/09/2024


सेवा में,

1. डॉ० रंजीत कुमार सिंहा, सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. प्रोफेसर श्रीकान्त मोहापात्रा, पूर्व सम-कुलपति, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदानगढ़ी, नई दिल्ली।
3. प्रोफेसर डी०पी० त्रिपाठी, प्रोफेसर-वास्तुशास्त्र, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
4. डॉ० राकेश चन्द्र रस्तोगी, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, खटीमा फाईबर्स लि०, उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड।
5. श्री त्रिलोक सिंह चौमा, निदेशक-चौमा पेपर्स लि०, बाजपुर रोड़, काशीपुर, उधमसिंह नगर।
6. प्रोफेसर संदीप सिंह रावत, निदेशक, SOCIS, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली(नाभित प्रतिनिधि कुलपति, इन्० नई दिल्ली)।
7. प्रोफेसर पी०डी० पंत, निदेशक, भौमिकी एवं पर्यावरण विज्ञान विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
8. प्रोफेसर रेनू प्रकाश, निदेशक, मानविकी विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
9. प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे, निदेशक, समाज विज्ञान विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
10. डॉ० एम०एम० जोशी, सह-आचार्य, इतिहास, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
11. डॉ० भानु प्रकाश जोशी, सहायक आचार्य, योग, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
12. श्री सूर्य प्रताप सिंह, मुख्य वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी (आमंत्रित सदस्य)।
13. प्रोफेसर सोमेश कुमार, परीक्षा नियंत्रक, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी (आमंत्रित सदस्य)।

महोदय/महोदया,


दिनांक 30 सितम्बर, 2024 (सोमवार) को सम्पन्न उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की 41वीं बैठक का कार्यवृत्त संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। कार्यवृत्त में यदि कोई संशोधन हो तो, कृपया अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि कार्यवृत्त की पुष्टि के समय प्रस्तावित संशोधन को संज्ञान में लेते हुए यथा आवश्यक परिवर्तन/संशोधन किया जा सके।

८१९५

भवदीय,  
  
 (खेमराज भट्ट)  
 कुलसचिव/ सदस्य सचिव, कार्य परिषद

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, माननीय श्री राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को माननीय कुलाधिपति जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. कुलपति जी के निजी सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

  
 (खेमराज भट्ट)  
 कुलसचिव/ सदस्य सचिव, कार्य परिषद



# उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

## Uttarakhand Open University

Ref. No. UOU/कार्य परि. 41/2024

Date ..... 30/09/2024

सेवा में,

1. डॉ। रंजीत कुमार सिंहा, सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. प्रोफेसर श्रीकान्त मोहापात्रा, पूर्व सम-कुलपति, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदानगढ़ी, नई दिल्ली।
3. प्रोफेसर डी।०पी।० त्रिपाठी, प्रोफेसर-वास्तुशास्त्र, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
4. डॉ। राकेश चन्द्र रस्तोगी, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, खटीमा फाईबर्स लि।०, उथमसिंह नगर, उत्तराखण्ड।
5. श्री त्रिलोक सिंह चीमा, निदेशक-चीमा पैपर्स लि।०, बाजपुर रोड, काशीपुर, उथमसिंह नगर।
6. प्रोफेसर संदीप सिंह रावत, निदेशक, SOCIS, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली(नामित प्रतिनिधि कुलपति, इग्नू, नई दिल्ली)।
7. प्रोफेसर पी।०डी।० पंत, निदेशक, भौमिकी एवं पर्यावरण विज्ञान विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
8. प्रोफेसर रेनू प्रकाश, निदेशक, मानविकी विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
9. प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे, निदेशक, समाज विज्ञान विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
10. डॉ। एम।०एम।० जोशी, सह-आचार्य, इतिहास, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
11. डॉ। भानु प्रकाश जोशी, सहायक आचार्य, योग, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
12. श्री सूर्य प्रताप सिंह, मुख्य वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी (आमंत्रित सदस्य)।
13. प्रोफेसर सोमेश कुमार, परीक्षा नियंत्रक, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी (आमंत्रित सदस्य)।

महोदय/महोदया,

दिनांक 30 सितम्बर, 2024 (सोमवार) को सम्पन्न उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की 41वीं बैठक का कार्यवृत्त संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। कार्यवृत्त में यदि कोई संशोधन हो तो, कृपया अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि कार्यवृत्त की पुष्टि के समय प्रस्तावित संशोधन को संज्ञान में लेते हुए यथा आवश्यक परिवर्तन/संशोधन किया जा सके।

भवदीय,

(खेमराज भट्ट)

कुलसचिव/ सदस्य सचिव, कार्य परिषद

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, माननीय श्री राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को माननीय कुलाधिपति जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. कुलपति जी के निजी सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

KSC

(खेमराज भट्ट)

कुलसचिव/ सदस्य सचिव, कार्य परिषद

दिनांक 30 सितम्बर, 2024 (सोमवार) को माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में प्रातः 11.30 बजे विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में सम्पन्न कार्य परिषद की 41वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

- |    |   |                       |
|----|---|-----------------------|
| 1. | प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह नेगी,<br>कुलपति,<br>उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।  | अध्यक्ष               |
| 2. | डॉ रंजीत कुमार सिन्हा,<br>सचिव,<br>उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून<br>(वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया गया)   | पदेन सदस्य/सह-अध्यक्ष |
| 3. | प्रोफेसर श्रीकान्त मोहापात्रा,<br>पूर्व सम-कुलपति<br>इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदानगढ़ी, नई दिल्ली।<br>(वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया गया)     | सदस्य                 |
| 4. | प्रोफेसर डी०पी० त्रिपाठी,<br>प्रोफेसर-वास्तुशास्त्र,<br>श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली<br>(वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया गया) | सदस्य                 |
| 5. | प्रोफेसर संदीप सिंह रावत,<br>निदेशक, SOCIS<br>इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली<br>(प्रतिनिधि-कुलपति, इन्, नई दिल्ली)  | सदस्य                 |
| 6. | प्रोफेसर पी०डी० पंत,<br>निदेशक,<br>भौमिकी एवं पर्यावरण विज्ञान विद्याशाखा<br>उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।   | सदस्य                 |
| 7. | प्रोफेसर रेनू प्रकाश,<br>निदेशक,<br>मानविकी विद्याशाखा,<br>उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।   | सदस्य                 |

8. डॉ० एम०एम० जोशी,  
सह-अचार्य, इतिहास,  
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। सदस्य
9. डॉ० भानु प्रकाश जोशी,  
सहायक आचार्य, योग,  
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। सदस्य
10. श्री खेमराज भट्ट,  
कुलसचिव,  
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। सदस्य सचिव
11. श्री सूर्यप्रताप सिंह,  
मुख्य वित्त अधिकारी,  
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। आमंत्रित सदस्य
12. प्रोफेसर सोमेश कुमार,  
परीक्षा नियंत्रक,  
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। आमंत्रित सदस्य

सर्वप्रथम सदस्य सचिव, कार्य परिषद द्वारा कुलपति, अध्यक्ष, कार्य परिषद तथा समस्त उपस्थित सदस्यों/आमंत्रित सदस्यों का कार्य परिषद की 41वीं बैठक में स्वागत किया गया।

तदक्रम में माननीय कुलपति जी द्वारा बैठक में आभासीय (Online) माध्यम से उपस्थित डॉ० रंजीत कुमार सिन्हा, प्रोफेसर श्रीकान्त मोहापात्रा, प्रोफेसर डी०पी० त्रिपाठी तथा बैठक में स्वयं उपस्थित प्रोफेसर संदीप सिंह रावत, प्रतिनिधि, कुलपति, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली का विशेष आभार व्यक्त करते हुए समस्त सदस्यों/आमंत्रित सदस्यों का कार्य परिषद की 41वीं बैठक में स्वागत किया गया।

बैठक में कार्य परिषद के सदस्य- श्री त्रिलोक सिंह चीमा एवं डॉ० राकेश रस्तोगी द्वारा प्रतिभाग नहीं किया गया।

समस्त सदस्यों के स्वागतोपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा, डॉ० रंजीत कुमार सिन्हा से आग्रह किया गया कि वे विश्वविद्यालय कार्य परिषद की 41वीं बैठक में सह-अध्यक्षता स्वीकार करने का कष्ट करें। कुलपति जी के आग्रह पर सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी।

तदुपरान्त प्रस्तुत कार्यसूची में सम्मिलित प्रत्येक प्रस्ताव को सदस्य सचिव, कार्य परिषद द्वारा परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। कार्य परिषद द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव का अवलोकन कर सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्तावों पर निम्नवत् अनुमोदन प्रदान किया गया:-

**प्रस्ताव संख्या 41.01- कार्य परिषद की 40वीं बैठक दिनांक 07.03.2024 के कार्यवृत्त की पुष्टि।**

सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि कार्य परिषद की 40वीं बैठक दिनांक 07.03.2024 का कार्यवृत्त विश्वविद्यालय के पत्र संख्या-य०ओ०य०/ आर/कार्य०परि०/०४/२०२४, दिनांक 07.03.2024 द्वारा सभी सम्मानित सदस्यों के मध्य इस अनुरोध के साथ परिचालित किया गया था कि यदि कार्यवृत्त के किसी बिन्दु पर असहमति हो, किसी मद में कोई अंश छूट गया हो, अथवा कोई संशोधन अपेक्षित हो तो यथासमय विश्वविद्यालय को अवगत करा दिया जाय। तदनुसार परिचालित कार्यवृत्त पर माननीय सदस्यों से कोई असहमति/संशोधन प्राप्त नहीं हुआ है।

**निर्णय-** कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव से अवगत होते हुए पुनरावलोकन के उपरान्त सर्वसम्मति से 40वीं बैठक दिनांक 07 मार्च, 2024 के कार्यवृत्त की पुष्टि करते हुए यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।

**प्रस्ताव संख्या 41.02- कार्य परिषद की 40वीं बैठक दिनांक 07.03.2024 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही।**

कार्य परिषद की 40वीं बैठक दिनांक 07.03.2024 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही में सम्मिलित समस्त प्रस्तावों पर हुई कार्यवाही से सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को विस्तार से अवगत कराया गया।

**निर्णय:-** कार्य परिषद द्वारा कृत कार्यवाही में सम्मिलित समस्त प्रस्तावों का अवलोकन करते हुए, विश्वविद्यालय द्वारा की गयी कृत कार्यवाही पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

**प्रस्ताव संख्या 41.03- य०जी०सी० के दिशा-निर्देशानुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में “Professor of Practice” नियुक्त किये जाने के संबंध में विचार।**

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में “Professor of Practice” को शामिल करने के लिए दिशानिर्देश जारी किये गये हैं। य०जी०सी० द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में उल्लिखित किया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 उद्योग और अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए कौशल आधारित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करके उच्च शिक्षा में सुधार करने का प्रयास करती है। साथ ही व्यावसायिक शिक्षा एवं सामान्य शिक्षा को एकीकृत करने और उच्च शिक्षा संस्थानों में उद्योग-अकादमिक सहयोग को मजबूत करने की भी सिफारिश करती है। युवाओं को उच्च स्तर का कौशल प्रदान करने के लिए, शिक्षार्थियों को नियोक्ताओं की तरह सोचना चाहिए और नियोक्ताओं को शिक्षार्थियों की तरह सोचना चाहिए। इस दिशा में, य०जी०सी० ने “Professor of Practice” पदों की नई श्रेणी के माध्यम से उद्योग और अन्य पेशेवर विशेषज्ञता को शैक्षणिक संस्थानों में लाने के लिए एक नई पहल की है। इससे विश्व में प्रचलित शैक्षिक अभ्यासों एवं अनुभवों को कक्षाओं में लाने में मदद मिलेगी और उच्च शिक्षा संस्थानों में संकाय संसाधनों को भी बढ़ाया जा सकेगा। साथ ही उद्योग और समाज को प्रासंगिक कौशल युक्त प्रशिक्षित स्नातकों से

Registrar  
Uttarakhand Open University  
Haldwani (Nainital)

Vice Chancellor  
Uttarakhand Open University  
Haldwani, Nainital (U.K.)

लाभ होगा। यूजीओसी० के दिशा-निर्देशानुसार उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में “Professor of Practice” नियोजित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय कार्य परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

निर्णय:- प्रस्ताव से कार्य परिषद अवगत हुई तथा उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में “Professor of Practice” नियोजित किये जाने हेतु सचिव, उच्च शिक्षा के परामर्श के उपरान्त इस संबंध में दिशा-निर्देश प्राप्त किये जाने के लिए प्रकरण सर्वसम्मति से शासन को संदर्भित किया गया।

**प्रस्ताव संख्या 41.04-** विश्वविद्यालय के कतिपय क्षेत्रीय केन्द्रों को पुनर्गठित किये जाने हेतु गठित समिति की संस्तुतियों पर विचार/अनुमोदन।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय योजना बोर्ड की सप्तम बैठक दिनांक 27 जुलाई, 2024 में कतिपय अध्ययन केन्द्रों/क्षेत्रीय केन्द्रों को स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। प्रस्ताव पर योजना बोर्ड द्वारा सहमति व्यक्त की गयी कि विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालयों को पुनर्गठित किये जाने हेतु एक सम्यक प्रस्ताव तैयार किया जाय। इस हेतु निदेशक, क्षेत्रीय सेवाएं की अध्यक्षता में एक समिति गठित किये जाने हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया गया। तदक्रम में गठित समिति की दिनांक 19 सितम्बर, 2024 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियां माननीय कार्य परिषद के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गयी हैं।

निर्णय:- कार्य परिषद द्वारा विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालयों को पुनर्गठित किये जाने हेतु गठित समिति की दिनांक 19 सितम्बर, 2024 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियों पर अवलोकनोपरान्त सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।

**प्रस्ताव संख्या 41.05-** विश्वविद्यालय के क्रेन्द्रीय पुस्तकालय में रक्षित विभिन्न विषयों से संबंधित निष्प्रयोज्य पत्रिकाओं के विनिष्टीकरण के संबंध में गठित समिति की संस्तुतियों पर विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के क्रेन्द्रीय पुस्तकालय में रक्षित निष्प्रयोज्य पत्रिकाओं का विनिष्टीकरण किये जाने हेतु एक प्रस्ताव विश्वविद्यालय कार्य परिषद की 40वीं बैठक दिनांक 07 मार्च, 2024 में प्रस्तुत किया गया था। कार्य परिषद द्वारा विश्वविद्यालय के क्रेन्द्रीय पुस्तकालय में रक्षित अनुपयोगी पत्रिकाओं का एक समिति के माध्यम से उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के तहत विनिष्टीकरण किये जाने पर अनुमोदन प्रदान करते हुए समिति गठित किये जाने हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया गया। गठित समिति की संस्तुतियां माननीय कार्य के अवलोकनार्थ/विचारार्थ प्रस्तुत की गयी हैं।

निर्णय:- कार्य परिषद द्वारा गठित समिति की संस्तुतियों का अवलोकन कर सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय पारित किया गया कि केवल निष्प्रयोज्य पत्रिकाओं का ही विनिष्टीकरण किया जाय, पुस्तकों, शोध पत्रिकाओं तथा महत्वपूर्ण अभिलेखों आदि का विनिष्टीकरण ना किया जाय। साथ ही विश्वविद्यालय की जो पुस्तकें चलन में नहीं है उन्हें पुस्तकालय का भाग बनाया जाय। इस संबंध में सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा सुझाव दिया गया कि शासन द्वारा प्रचलित विनिष्टीकरण नियमावली का शत-प्रतिशत पालन किया जाय।

**प्रस्ताव संख्या 41.06- उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षकों को अर्जित अवकाश का नकदीकरण एवं उपादान की व्यवस्था किए जाने के संबंध में गठित समिति की संस्तुतियों पर विचार।**

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षकों को अर्जित अवकाश का नकदीकरण एवं उपादान की व्यवस्था किए जाने के संबंध में कार्य परिषद की 40वीं बैठक दिनांक 07 मार्च, 2024 में प्रस्ताव संख्या- 40.14 (विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 17वीं बैठक दिनांक 04.03.2024 की संस्तुतियों का अनुमोदन) में कार्य परिषद द्वारा इस संबंध में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली व अन्य नियामक संस्थाओं में प्रचलित नियमों के आधार पर एक प्रस्ताव तैयार किये जाने के लिए एक परीक्षण समिति का गठन किये जाने हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत करते हुए समिति की संस्तुतियां आगामी कार्य परिषद में प्रस्तुत किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। तदक्रम में गठित परीक्षण समिति की दिनांक 12 जुलाई, 2024 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियां माननीय कार्य परिषद के अवलोकनार्थ/विचारार्थ प्रस्तुत की गयी हैं।

**निर्णय:-**

कार्य परिषद द्वारा संबंधित प्रकरण पर गठित परीक्षण समिति की दिनांक 12 जुलाई, 2024 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियों का अवलोकन कर सुझाव दिया गया कि प्रकरण में वित्तीय उपाशय निहित है। अतएव इस संबंध में दिशा-निर्देश प्राप्त किये जाने हेतु प्रकरण शासन को संदर्भित किया जाय, जिस पर कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गयी।

**प्रस्ताव संख्या 41.07- विश्वविद्यालय में नियुक्त डॉ० एम०एम० जोशी, डॉ० गगन सिंह एवं डॉ० राकेश चन्द्र रयाल के सावधि पद पर धारणाधिकार एवं सह-आचार्य पद पर स्थायीकरण के संबंध में विचार।**

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि डॉ० एम०एम० जोशी, सह-आचार्य, इतिहास, डॉ० गगन सिंह, सह-आचार्य, वाणिज्य एवं डॉ० राकेश चन्द्र रयाल, सह-आचार्य, पत्रकारिता के सावधि पद पर धारणाधिकार एवं सह-आचार्य पद पर स्थायीकरण के संबंध में कार्य परिषद की 38वीं बैठक दिनांक 04 नवम्बर, 2023 के प्रस्ताव संख्या-38.12 में परिषद द्वारा निम्नवत् अनुमोदन प्रदान किया गया:-

"कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से डॉ० एम०एम० जोशी, डॉ० गगन सिंह एवं डॉ० राकेश चन्द्र रयाल के धारणाधिकार को कार्मिकों के हित में तकनीकी नियमों के तहत आगामी 01 वर्ष अथवा माननीय उच्च न्यायालय स्तर पर प्रकरण का निस्तारण जो भी पहले हो, तक के लिए विस्तारित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही संबंधित कार्मिकों के स्थायीकरण के संबंध में यह व्यवस्था दी गयी कि - वर्तमान पद पर इनके स्थायीकरण को उक्त अवधि तक निलम्बित रखा जाय। इस दौरान कार्य परिषद के सदस्य डॉ० एम०एम० जोशी, सह-आचार्य, इतिहास बैठक से अनुपस्थित रहें।"

तदक्रम में कार्य परिषद के अनुमोदनानुसार संबंधित शिक्षकों का सावधि पद पर धारणाधिकार बना हुआ है तथा वर्तमान में धारित पद (सह-आचार्य) पर स्थायीकरण को निलम्बित रखा गया है। शासन से सह-आचार्य (इतिहास, वाणिज्य एवं पत्रकारिता) पद पर स्थायीकरण प्राप्त हो चुका है। साथ ही संबंधित शिक्षकों को कैरियर अभिवर्धन योजना

(CAS) के अन्तर्गत अकादमिक स्तर 14 में प्रोन्नति किये जाने हेतु चयन समिति की संस्तुतियां इस कार्यसूची में प्रस्ताव संख्या-14.17 पर प्रस्तुत की जा रही हैं। अतएव संबंधित 03 शिक्षकों का सावधि पद पर धारणाधिकार एवं वर्तमान में धारित पद (सह-आचार्य) पर स्थायीकरण के संबंध में पुर्वविचार किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय कार्य परिषद के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

#### निर्णय:-

प्रस्तुत प्रस्ताव का कार्य परिषद द्वारा अवलोकन कर सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय पारित किया गया कि- डॉ० एम०एम० जोशी, डॉ० गगन सिंह एवं डॉ० राकेश चन्द्र रयाल के सावधि पद पर धारणाधिकार को समाप्त कर सह-आचार्य पद पर संबंधितों का स्थायीकरण करते हुए प्रकरण शासन को सूचनार्थ प्रेषित किया जाय। इस दौरान कार्य परिषद के सदस्य डॉ० एम०एम० जोशी, सह-आचार्य, इतिहास बैठक से अनुपस्थित रहे।

**प्रस्ताव संख्या 41.08- विश्वविद्यालय में नियुक्त श्री राजेश आर्या, हार्डवेयर इंजीनियर को अध्ययन अवकाश स्वीकृत किये जाने के संबंध में विचार।**

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में हार्डवेयर इंजीनियर के पद पर नियुक्त श्री राजेश आर्या का उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में संचालित पी०एच-डी० कार्यक्रम के कम्प्यूटर विज्ञान एवं अनुप्रयोग विषय में चयन होने के उपरान्त उनके द्वारा कम्प्यूटर विज्ञान एवं अनुप्रयोग विषय में शोध कार्य (कोर्स वर्क) के लिए अध्ययन अवकाश की अनुमति हेतु दिनांक 20 मार्च, 2024 को एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपने प्रार्थना-पत्र के साथ श्री राजेश द्वारा गैर शैक्षणिक कर्मचारियों हेतु अध्ययन अवकाश की व्यवस्था से संबंधित इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के अध्यादेश की प्रति भी संलग्न की गयी है।

इस संबंध में अवगत कराना है कि गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए विश्वविद्यालय अध्यादेश में अध्ययन अवकाश का कोई प्राविधान नहीं है। किन्तु श्री राजेश आर्या द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र में इग्नू, नई दिल्ली के अध्यादेश की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए इसके अन्तर्गत अध्ययन अवकाश अनुमन्य किये जाने का अनुरोध किया गया है। तदक्रम में श्री राजेश दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से दिनांक 28 अगस्त, 2024 तक शोध कार्य (कोर्स वर्क) में रहे तथा दिनांक 29 अगस्त, 2024 को उनके द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है। अतएव श्री राजेश आर्या, हार्डवेयर इंजीनियर के प्रार्थना-पत्र के क्रम में कम्प्यूटर विज्ञान एवं अनुप्रयोग विषय में शोध कार्य (कोर्स वर्क) के लिए दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से दिनांक 28 अगस्त, 2024 तक अध्ययन अवकाश अनुमन्य किये जाने पर विचार किये जाने हेतु प्रकरण माननीय कार्य परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत है।

#### निर्णय:-

प्रस्तुत प्रस्ताव का कार्य परिषद द्वारा अवलोकन कर सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया कि चूंकि गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए विश्वविद्यालय के अध्यादेश में अध्ययन अवकाश का कोई प्राविधान नहीं है, अतएव श्री राजेश आर्या, हार्डवेयर इंजीनियर को विशेष परिस्थितियों के आलोक में दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से दिनांक 28 अगस्त, 2024 तक शोध कार्य (कोर्स वर्क) हेतु अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाय।

प्रस्ताव संख्या 41.09- श्री प्रदीप कुमार, सहायक आचार्य, संगीत द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दिनांक 27.05.2024  
के क्रम में कार्य परिषद द्वारा रोकी गयी 01 वार्षिक वेतन वृद्धि के संबंध में विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि श्री प्रदीप कुमार, सहायक प्राध्यापक, संगीत द्वारा संगीत विभाग की जनवरी, 2022 में आयोजित मौखिक परीक्षाओं तथा कार्यशालाओं हेतु विभिन्न विषय-विशेषज्ञों के देयकों के भुगतान हेतु प्रस्तुत बीजकों में परीक्षा नियंत्रक के फर्जी हस्ताक्षर किये गये थे, जिसकी पुष्टि स्वयं परीक्षा नियंत्रक द्वारा की गयी है। इस प्रकरण को विश्वविद्यालय कार्य परिषद की 37वीं बैठक दिनांक 11.07.2023 में प्रस्तुत किया गया था, जिस पर कार्य परिषद द्वारा निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया:-

"कार्य परिषद द्वारा प्रकरण को अति संवेदनशील मानते हुए सम्यक विचारोपान्त श्री प्रदीप कुमार, सहायक प्राध्यापक संगीत के इस कृते हेतु एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने एवं परीक्षा संबंधी बीजकों को सत्यापित किये जाने पर 03 वर्ष का प्रतिबन्ध लगाने पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।"

कार्य परिषद के उक्त निर्णय के क्रम में श्री प्रदीप कुमार द्वारा माननीय कुलपति जी को दिनांक 18.01.2024 को प्रेषित प्रार्थना-पत्र के माध्यम से परीक्षा संबंधी कार्यों यथा- प्रश्न-पत्र निर्माण, आंतरिक परीक्षक, प्रश्न-पत्र समीक्षक इत्यादि के दायित्वों में सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया। तदक्रम में संबंधित द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर विचार हेतु एक प्रस्ताव कार्य परिषद की 40वीं बैठक दिनांक 07 मार्च, 2024 में प्रस्तुत किया गया जिस पर कार्य परिषद द्वारा निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया:-

"कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर सम्यक विचारोपान्त श्री प्रदीप कुमार, सहायक आचार्य, संगीत को विश्वविद्यालय के परीक्षा संबंधी समस्त कार्यों में इस चेतावनी के साथ सम्मिलित किये जाने पर, कि भविष्य में इनके द्वारा इस प्रकार के कृत्य की पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी, से संबंधित लिखित में एक वचन श्री प्रदीप कुमार पर लिये जाने के उपरान्त पत्र-ति से अनुमोदन प्रदान किया गया। करने पर सर्वसम्म को समाप्तलगाये प्रतिबन्ध।"

कार्य परिषद द्वारा पारित उक्त निर्णय के क्रम में संबंधित से लिखित में एक वचन पत्र लिये जाने के उपरान्त विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा श्री प्रदीप कुमार पर परीक्षा संबंधी कार्यों पर लगाये गये समस्त प्रतिबन्धों को समाप्त कर दिया गया है। श्री प्रदीप कुमार द्वारा दिनांक 27 मई, 2024 को पुनः प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के माध्यम से उनकी रोकी गयी एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ अनुमन्य किये जाने का अनुरोध किया गया है। प्रकरण पर अवगत कराना है कि कार्य परिषद की 37वीं बैठक दिनांक 11.07.2023 में पारित निर्णय के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा श्री प्रदीप कुमार की एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गयी है। अतः उक्तानुसार कार्य परिषद की 37वीं बैठक दिनांक 11.07.2023 में श्री प्रदीप कुमार की रोकी गयी एक वार्षिक वेतन वृद्धि के प्रकरण पर विचार हेतु प्रस्ताव माननीय कार्य परिषद के अवलोकनार्थ/विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

#### निर्णय:-

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा उपरान्त कार्य परिषद द्वारा श्री प्रदीप कुमार के इस कृत्य को अति संवेदनशील मानते हुए निर्णय पारित किया गया कि इस संबंध में कार्य परिषद की 37वीं बैठक दिनांक 11.07.2023 में पारित निर्णय को यथावत रखा जाय तथा श्री प्रदीप कुमार की रोकी गई वेतन वृद्धि को दण्डात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत किसी भी दशा में बहाल न किया जाय। कार्य परिषद द्वारा ध्वनि मत से यह भी पारित किया गया कि श्री प्रदीप कुमार को सेवा के दौरान परीक्षा संबंधी प्रशासनिक व वित्तीय कार्यों से विरत (debar) कर दिया जाय।

**प्रस्ताव संख्या 41.10- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना संख्या-405, दिनांक 06 जून, 2024**  
को अंगीकृत किये जाने के संबंध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय-छ: विश्वविद्यालय के अध्यापक शीर्षक के अन्तर्गत परिनियम 21 से 23 में यह व्यवस्था है कि समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न विषयों में नियुक्ति हेतु प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक की पात्रता हेतु निर्धारित मानकों को लागू किया जायेगा तथा परिनियम 28 में शिक्षकों के कैरियर अभिवर्धन योजना का वर्णन है जिसमें कैरियर अभिवर्धन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित पात्रता एवं समयावधि को लागू किया जायेगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना संख्या-405 दिनांक 06 जून, 2024 द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं और उच्चतर शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण के लिए अन्य उपाय) (चौथा संशोधन) विनियम, 2024 के रूप में अधिसूचित किया है। विश्वविद्यालय विद्या परिषद की 29वीं बैठक दिनांक 26 जून, 2024 द्वारा उक्त अधिसूचना को विश्वविद्यालय में यथावत अंगीकृत किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया है।

**निर्णय:-** प्रस्ताव पर सचिव, उच्च शिक्षा, डॉ० रंजीत कुमार सिन्हा द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना संख्या-405 दिनांक 06 जून, 2024 को अंगीकृत किये जाने हेतु शासन को प्रेषित किये जाने का सुझाव दिया गया जिस पर कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से सहमति देते हुए प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया।

**प्रस्ताव संख्या 41.11- डॉ० जीतेन्द्र पाण्डेय, प्राध्यापक, कम्प्यूटर विज्ञान का Shanghai Open University, China के 2024 SOU International Visiting Scholar Program के लिए चयन होने से संबंधित सूचना।**

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि डॉ० जीतेन्द्र पाण्डेय, प्राध्यापक, कम्प्यूटर विज्ञान का Shanghai Open University, China के 2024 SOU International Visiting Scholar Program के लिए चयन होने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय छ: परिनियम 32(4) में वर्णित दीर्घकालीन अवकाश की व्यवस्थानुसार दिनांक 27.06.2024 से दिनांक 18.07.2024 तक कुल 22 दिवस का दीर्घकालीन अवकाश पूर्ण वेतन पर विश्वविद्यालय कार्य परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में स्वीकृत किया गया है। तद्क्रम में प्रस्ताव माननीय कार्य परिषद के अवलोकनार्थ/सूचनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

**निर्णय:-** डॉ० जीतेन्द्र पाण्डेय, प्राध्यापक, कम्प्यूटर विज्ञान का Shanghai Open University, China के 2024 SOU International Visiting Scholar Program के लिए चयन होने की सूचना से अवगत हुई। कार्य परिषद द्वारा डॉ० पाण्डेय की इस उपलब्धि के लिए उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए ध्वनि मत से पारित किया गया कि डॉ० जीतेन्द्र पाण्डेय को इस गौरवपूर्ण उपलब्धि हेतु कार्य परिषद की ओर से एक प्रशंसा-पत्र प्रेषित किया जाय। सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा प्रोफेसर जीतेन्द्र पाण्डेय की सेवाएं राज्य हित में लिये जाने की सहमति दी गई।

Register  
Uttarakhand Open University  
Haldwani (Nainital)

21/06/2024  
Vice Chancellor  
Uttarakhand Open University  
Haldwani, Nainital (U.K.)

**प्रस्ताव संख्या 41.12-** विश्वविद्यालय में अल्पकालिक/अस्थाई आधार पर नियोजित असिस्टेंट प्रोफेसर (ए.सी.), प्रशासनिक परामर्शदाता, तकनीकी परामर्शदाता तथा कैमरामैन व वीडियो एडिटर के कार्यकाल विस्तारीकरण के संबंध में सूचना।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में पर्याप्त शैक्षिक/शिक्षणेत्तर पदों का सृजन न होने के कारण शैक्षिक/तकनीकी/प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन हेतु विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय-तीन (धारा-11(1)) परिनियम 4(19) के अधीन प्रथम अध्यादेश के अध्याय-8 में वर्णित व्यवस्थानुसार कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के दक्षतापूर्ण संचालन की आवश्यकता हेतु समय-समय पर अल्पकालिक नियुक्ति जो एक बार में छः माह से अनधिक हो, किये जाने का प्राविधान है। तदनुसार समय-समय पर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर(ए.सी.) प्रशासनिक परामर्शदाता, तकनीकी परामर्शदाता तथा कैमरामैन व वीडियो एडिटर का नियोजन किया जाता रहा है।

वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर(ए.सी.), प्रशासनिक एवं तकनीकी परामर्शदाताओं की छः माह की सेवा विस्तारीकरण अवधि दिनांक 30 जून, 2024 को पूर्ण होने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विषयों में नियोजित असिस्टेंट प्रोफेसर(ए.सी.) द्वारा सम्पादित शैक्षिक कार्यों/गतिविधियों के मूल्यांकन/परीक्षण हेतु निदेशक, अकादमिक की अध्यक्षता में गठित परीक्षण/स्क्रीनिंग समिति द्वारा किये गये मूल्यांकन के आधार पर माननीय कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त एक दिन के सेवा व्यवधान के साथ दिनांक 02 जुलाई, 2024 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2024 तक (छः माह) सेवा विस्तारित की गयी है।

उक्त के अतिरिक्त कैमरामैन एवं वीडियो एडिटर की छः माह की सेवा विस्तारीकरण अवधि दिनांक 31 अगस्त, 2024 को पूर्ण होने के फलस्वरूप माननीय कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त एक दिन के सेवा व्यवधान के साथ दिनांक 02 सितम्बर, 2024 से दिनांक 28 फरवरी, 2025 तक (छः माह) सेवा विस्तारित की गयी है। तदक्रम में प्रस्ताव माननीय कार्य परिषद के सूचनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

**निर्णय:-**

प्रस्तुत प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त बैठक में उपस्थित सचिव, उच्च शिक्षा, डॉ० रंजीत कुमार सिन्हा द्वारा सुझाव दिया गया कि *Teaching Skills and Presentation Skills* का आंकलन करने के उपरान्त ही असिस्टेंट प्रोफेसर(ए.सी.) की सेवा विस्तारित की जाय तथा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से चयन प्रक्रिया सुनिश्चित की जाय। परिषद का मत था कि संबंधित शिक्षकों की सेवा अवधि छः माह के स्थान पर 11 माह की जानी चाहिए। इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा एक प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रेषित किया जाय ताकि परिनियम/अध्यादेश में यथास्थान संशोधन करा लिया जाय। कार्य परिषद द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा के सुझाव पर सहमति व्यक्त करते होते हुए प्रस्ताव पर ध्वनि मत से अनुमोदन प्रदान किया गया।

**प्रस्ताव संख्या 41.13-** दिनांक 25 जुलाई, 2024 को विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों में सहायक आचार्य(ए.सी.) के नियोजन हेतु आयोजित वॉक-इन-इन्टरव्यू की सूचना।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2024-25 में विभिन्न पाठ्यक्रमों को संचालित किये जाने हेतु यू०जी०सी०(डेब) के मानकों को पूर्ण करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न विषयों में अस्थाई शिक्षकों को नितान्त अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत विश्वविद्यालय

परिनियमावली के अध्याय-तीन (धारा-11(1)) परिनियम 4(19) के अधीन प्रथम अध्यादेश के अध्याय-8 में वर्णित व्यवस्थानुसार छ: माह की अनधिक अवधि हेतु नियोजित किये जाने हेतु विज्ञापन जारी किया गया। उक्त नियोजन हेतु दिनांक 25 जुलाई, 2024 को विश्वविद्यालय में वॉक-इन-इन्टरव्यू सम्पन्न कराये गये। तदक्रम में कुल 18 सहायक आचार्य (ए.सी.) को विश्वविद्यालय में नियोजित किया गया है।

निर्णय:- प्रस्तुत प्रस्ताव से कार्य परिषद अवगत हुई तथा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 41.14- विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की 29वीं बैठक दिनांक 26.06.2024 की संस्तुतियों का अनुमोदन।

निर्णय:- प्रस्तुत प्रस्ताव से कार्य परिषद अवगत हुई। प्रस्ताव पर सचिव, उच्च शिक्षा डॉ। रंजीत कुमार सिन्हा द्वारा सुझाव दिया गया कि भविष्य में आयोजित होने वाली विश्वविद्यालय विद्या परिषद एवं परीक्षा समिति का कार्यवृत्त भी यथा समय शासन को प्रेषित किया जाय। सचिव, उच्च शिक्षा से सहमत होते हुए कार्य परिषद द्वारा विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की 29वीं बैठक दिनांक 26.06.2024 की संस्तुतियों पर सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 41.15- विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की 18वीं बैठक दिनांक 14.08.2024 की संस्तुतियों का अनुमोदन।

निर्णय:- कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव से अवगत होते हुए विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की 18वीं बैठक दिनांक 14.08.2024 की संस्तुतियों व अन्य परीक्षा संबंधित नियमों पर कुलपति जी द्वारा की गई कार्यवाही का सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 41.16- विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 18वीं बैठक दिनांक 21.08.2024 की संस्तुतियों का अनुमोदन।

प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 18वीं बैठक दिनांक 21.08.2024 का कार्यवृत्त सचिव, वित्त द्वारा परिचालित किया गया था जिसके "मद संख्या 18.09- माननीय कुलपति जी हेतु नवीन शासकीय वाहन क्रय करने पर निर्णय" पर वित्त समिति के सदस्य श्री बच्ची राम आर्य, वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड (प्रतिनिधि- सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन) द्वारा आपत्ति करते हुए दिनांक 20 सितम्बर, 2024 को एक संशोधन पत्र सदस्य सचिव, वित्त समिति को प्रेषित किया गया है। संबंधित द्वारा प्रेषित पत्र में उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी के मुख्य प्रशासकीय अधिकारियों यथा- वित्त नियंत्रक एवं कुलसचिव को शासनादेश संख्या-212/IX-I/2016/2011/2023, दिनांक 17.02.2023 में अनुमन्य श्रेणी डी स्तर की अनुमन्य सीमा में शासकीय वाहन अनुमन्य किया जा सकता है का उल्लेख किया गया है। तदक्रम में श्री बच्ची राम आर्य द्वारा प्रेषित पत्र कार्य परिषद के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

निर्णय:-

प्रस्ताव पर कार्य परिषद द्वारा मत व्यक्त किया गया कि कुलपति जी को मिलने वाली सुविधाएं प्रमुख सचिव/सचिव स्तर, कुलसचिव- विभागाध्यक्ष स्तर तथा वित्त नियंत्रक/परीक्षा नियंत्रक/समकक्ष अधिकारी अपर सचिव स्तर की होनी चाहिए, इसकी पुष्टि हेतु प्रस्ताव शासन को संदर्भित किये जाने पर निर्णय पारित किया गया। तदक्रम में विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 18वीं बैठक दिनांक 21.08.2024 की संस्तुतियों पर सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।

**प्रस्ताव संख्या 41.17-** कैरियर अभिवर्धन योजना (CAS) के अन्तर्गत सह-आचार्य (अकादमिक स्तर-13क) से आचार्य (अकादमिक स्तर 14) में प्रोन्नति हेतु चयन समिति की संस्तुतियों का अनुमोदन।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि कैरियर अभिवर्धन योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम 2018 के प्रस्तर 10.0 तदनुसार उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1424/XXIV(4)/2019-01(28)/ 2016, दिनांक 06 सितम्बर, 2019 द्वारा अंगीकृत विनियम 2018 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सह-आचार्य(अकादमिक स्तर-13क) से आचार्य (अकादमिक स्तर 14) में प्रोन्नत किये जाने हेतु चयन समिति की बैठकें दिनांक 26, 27 एवं 28 सितम्बर, 2024 को विश्वविद्यालय में सम्पन्न हुई। समिति की संस्तुतियां सील बन्द लिफाफों में माननीय कार्य परिषद के सम्मुख खोले जाने हेतु प्रस्तुत किये गये हैं।

निर्णय:-

प्रस्ताव के क्रम में कार्य परिषद के सम्मुख सील बन्द लिफाफे खोले गये तथा परिषद द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत निम्नलिखित 06 सह-आचार्यों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम-2018 में वर्णित कैरियर अभिवर्धन योजना के अन्तर्गत पात्रता की तिथि से अकादमिक स्तर 14 में पदनाम सहित प्रोन्नत किये जाने हेतु गठित चयन समिति की संस्तुतियों पर निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया। इस दौरान कार्य परिषद के सदस्य डॉ० एम० एम० जोशी, सह-आचार्य, इतिहास तथा डॉ० भानु प्रकाश जोशी, सहायक आचार्य, योग बैठक से अनुपस्थित रहे :-

| क्रम सं० | नाम                   | पदनाम     | विषय                               | अकादमिक स्तर 14 में पदनाम (आचार्य) सहित प्रोन्नत की तिथि |
|----------|-----------------------|-----------|------------------------------------|--|
| 1.       | डॉ० गगन सिंह          | सह-आचार्य | वाणिज्य                            | 11.02.2024   |
| 2.       | डॉ० मंजरी अग्रवाल     | सह-आचार्य | प्रबन्ध अध्ययन                     | 07.09.2022   |
| 3.       | डॉ० आशुतोष कुमार भट्ट | सह-आचार्य | कम्प्यूटर विज्ञान                  | 11.02.2024   |
| 4.       | डॉ० मदन मोहन जोशी     | सह-आचार्य | इतिहास                             | 11.02.2024   |
| 5.       | डॉ० डिगर सिंह         | सह-आचार्य | शिक्षाशास्त्र                      | 31.05.2024   |
| 6.       | डॉ० राकेश चन्द्र रयाल | सह-आचार्य | पत्रकारिता- विज्ञापन एवं जनसम्पर्क | 21.07.2024   |

**प्रस्ताव संख्या 41.18-** कैरियर अभिवर्धन योजना (CAS) के अन्तर्गत सहायक-आचार्य (चयन ग्रेड/अकादमिक स्तर-12) से सह-आचार्य (अकादमिक स्तर-13क) में प्रोलन्ति हेतु चयन समिति की संस्तुतियों का अनुमोदन।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि कैरियर अभिवर्धन योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम 2018 के प्रस्तर 10.0 तदनुसार उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1424/XXIV(4)/2019-01(28)/ 2016, दिनांक 06 सितम्बर, 2019 द्वारा अंगीकृत विनियम 2018 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सहायक आचार्य को (चयन ग्रेड/अकादमिक स्तर 12) से सह-आचार्य (अकादमिक स्तर 13-क) में प्रोलन्ति किये जाने हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 26 सितम्बर, 2024 को विश्वविद्यालय में सम्पन्न हुई। समिति की संस्तुति सील बन्द लिफाफे में माननीय कार्य परिषद के सम्मुख खोले जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

**निर्णय:-** प्रस्ताव के क्रम में कार्य परिषद के सम्मुख सील बन्द लिफाफा खोला गया तथा परिषद द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत डॉ० भानु प्रकाश जोशी, सहायक आचार्य, योग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम-2018 में वर्णित कैरियर अभिवर्धन योजना के अन्तर्गत पात्रता की तिथि से अकादमिक स्तर 13-क में पदनाम सहित प्रोलन्ति किये जाने हेतु गठित चयन समिति की संस्तुतियों पर निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया। इस दौरान कार्य परिषद के सदस्य डॉ० एम०एम० जोशी, सह-आचार्य, इतिहास तथा डॉ० भानु प्रकाश जोशी, सहायक आचार्य, योग बैठक से अनुपस्थित रहे:-

| क्रम सं० | नाम                  | पदनाम        | विषय | अकादमिक स्तर 13क में पदनाम सहित प्रोलन्ति की तिथि |
|----------|----------------------|--------------|------|---|
| 1.       | डॉ० भानु प्रकाश जोशी | सहायक आचार्य | योग  | 30. 4.2024  |

**प्रस्ताव संख्या 41.19- अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।**

**प्रस्ताव संख्या 41.19.01- विश्वविद्यालय में शासन द्वारा नियुक्त कुलसचिव के कार्यभार ग्रहण करने की सूचना।**

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड शासन उच्च शिक्षा, अनुभाग-1, के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 804/XXIV-C-1/2024-01(17)2023, दिनांक 30 अगस्त, 2024 द्वारा श्री खेमराज भट्ट, कुलसचिव, श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल को उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय का कुलसचिव नियुक्त किया गया है। तदक्रम में श्री खेमराज भट्ट द्वारा दिनांक 03 सितम्बर, 2024 को विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।

**निर्णय:-** प्रस्तुत प्रस्ताव से कार्य परिषद अवगत हुई तथा श्री खेमराज भट्ट को उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय का कुलसचिव नियुक्त होने पर बधाई दी गयी।

**प्रस्ताव संख्या 41.19.02- शिक्षाशास्त्र, योग, कम्प्यूटर विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान विभाग के पीएचडी० शोधार्थियों की विभिन्न तिथियों में सम्पन्न मौखिक परीक्षाओं की आख्या का अनुमोदन।**

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि शिक्षाशास्त्र, योग, कम्प्यूटर विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान विभाग के पीएचडी० शोधार्थियों-श्री बृजेश कुमार बनकोटी, नीता दियोलिया, श्री संतोष कुमार एवं श्रद्धा लखेड़ा की विभिन्न तिथियों में मौखिक परीक्षा सम्पन्न करा ली गयी है। मौखिक परीक्षा की आख्या को माननीय कुलपति जी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

| क्रम सं० | पीएच.डी. शोधार्थी का नाम | नामांकन संख्या | शोध निर्देशक एवं सह-शोध निर्देशक            | पीएच.डी. मौखिक परीक्षा की तिथि | विभाग/विषय   | शोध शीर्षक  |
|----------|--------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1.       | श्री बृजेश कुमार बनकोटी  | 21240874       | डॉ कल्पना पाटनी लखेड़ा/डॉ राकेश चन्द्र रयाल | 20.07.2024                     | शिक्षाशास्त्र  | “मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा तथा जनसंचारयन क्तिवृत्त अध्यएक व्यविद्यालय विश्व मुक्तराखण्डउत्त (के विशेष संदर्भ में”                   |
| 2.       | नीता दियोलिया            | 19201245       | डॉ भानु प्रकाश जोशी                         | 27.07.2024                     | योग  | “रजोनिवृत्त की स्थिति के अंतर्गत महिलाओं में चिंता, तनाव व अवसाद पर चयनित यौगिक अभ्यासों के प्रभाव का अध्ययन ”                    |
| 3.       | श्री संतोष कुमार         | 19201290       | प्रोफेसर दुर्गेश पंत                        | 22.08.2024                     | कम्प्यूटर विज्ञान विभाग/कम्प्यूटर विज्ञान एवं अनुप्रयोग विषय | “TO STUDY THE POTENTIAL OF DIGITAL INITIATIVE FOR SCHOOL EDUCATION DURING COVID-19 PANDEMIC”                                      |
| 4.       | श्रद्धा लखेड़ा           | 21240578       | डॉ कमल देवलाल                               | 03.07.2024                     | भौतिक विज्ञान  | “Computational and experimental studies of some functional group rich organic nonlinear optical materials and their applications” |

**निर्णय:-**

कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर कुलपतिजी की स्वीकृति पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

  
Registrar  
Uttarakhand Open University  
Haldwani (Nainital)

**प्रस्ताव संख्या 41.19.03-** भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अन्तर्गत Indian Computer Emergency Response Team (CERT-IN) के साथ 'Introduction to Cyber Security' MOOC के संवर्धन के लिए सहयोग प्रस्ताव के संबंध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय SWAYAM प्लेटफॉर्म के माध्यम से "(Introduction to Cyber Security) शीर्षक से एक लोकप्रिय MOOC पाठ्यक्रम प्रदान कर रहा है, जिसने कई cycles में 1 लाख से अधिक पंजीकरण प्राप्त किए हैं। साइबर सुरक्षा के लिए भारत सरकार के सर्वोच्च निकाय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत CERT-In, पहले भी इस पाठ्यक्रम में योगदान दे चुका है और अब औपचारिक रूप से और अधिक सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की है। इस संबंध में CERT-In द्वारा दिनांक 11 सितम्बर, 2024 को प्रोफेसर जीतेन्द्र पाण्डेय, निदेशक, कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी को प्रेषित पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है। CERT-In ने उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के साथ निम्नलिखित गतिविधियों के माध्यम से इस MOOC को और बेहतर बनाने के लिए सहयोग का प्रस्ताव दिया है:-

1. साइबर सुरक्षा खतरे के परिदृश्य के आधार पर अद्यतन सामग्री प्रदान करना।
2. शिक्षार्थियों के साथ विशेष इंटरैक्टिव सत्र आयोजित करना, जिसमें विशेषज्ञों के साथ सीधे संवाद की सुविधा होगी।
3. पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों में प्रचारित करना।

यह साझेदारी उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय को अपने शिक्षार्थियों को अद्यतन और उद्योग संबंधित सामग्री प्रदान करने में सक्षम बनाएगी और राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर इस पाठ्यक्रम की दृश्यता बढ़ाएगी। 'Introduction to Cyber Security' MOOC के संवर्धन के लिए CERT-In के साथ इस सहयोग को औपचारिक रूप से मंजूरी प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय कार्य परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है। कार्य परिषद के अनुमोदनोपरान्त SWAYAM के राष्ट्रीय समन्वयक IGNOUss को एक पत्र जारी किया जाएगा, ताकि आवश्यक संशोधन और सुधार किए जा सकें और इस सहयोग को पाठ्यक्रम में परिलक्षित किया जा सके। तदक्रम में प्रस्ताव माननीय कार्य परिषद के अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

**निर्णय:-** प्रस्तुत प्रस्ताव का कार्य परिषद द्वारा अवलोकन कर विश्वविद्यालय की इस उपलब्धि हेतु भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

**प्रस्ताव संख्या 41.19.04-** विश्वविद्यालय में सृजित प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-2 के मूल पद एवं स्टाफिंग पैटर्न लागू किये जाने संबंधी शासनादेश में वर्णित वेतनमान में भिन्नता होने के संबंध में सूचना।

सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में सृजित प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-2 के मूल पद एवं स्टाफिंग पैटर्न लागू किये जाने संबंधी शासनादेश में वर्णित वेतनमान में भिन्नता है। इस संबंध में दिशा-निर्देश प्राप्त किये जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा शासन को पत्र प्रेषित किया गया है।

### निर्णय:-

प्रस्तुत प्रस्ताव से कार्य परिषद अवगत हुई। इस संबंध में सचिव, उच्च शिक्षा, डॉ० रंजीत कुमार सिन्हा द्वारा संबंधित प्रकरण पर शासन को पुनः पत्र प्रेषित किये जाने को कहा गया जिस पर कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान करते हुए निर्णय पारित किया गया कि प्रकरण पर शासन से दिशा-निर्देश प्राप्त कर लिया जाय।

बैठक के अन्त में सचिव, उच्च शिक्षा, डॉ० रंजीत कुमार सिन्हा तथा प्रोफेसर संदीप सिंह रावत, प्रतिनिधि, कुलपति इन्दिरा गौड़ी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा निम्नवत कुछ सुझाव दिये गये जिन पर कार्य परिषद द्वारा सहमति व्यक्त की गयी:-

1. विश्वविद्यालय को 12वी की मान्यता मिलने में जो भी कमियां हैं उनकी एक विस्तृत रूपरेखा तैयार कर शासन को प्रेषित की जाय।
2. विश्वविद्यालय को SWAYAM के लिए अधिक से अधिक प्रस्ताव तैयार किये जाने चाहिए।
3. शिक्षार्थियों और शिक्षकों के गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए Value Added Course को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
4. शिक्षकों के Skills को बढ़ावा देने के लिए अन्य विश्वविद्यालयों/संस्थाओं से अनुबन्ध किया जाय।
5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 से संबंधित Value Added, Skill, Vocational हेतु ICT Infrastructure विकसित कर लिया जाय।

कार्यसूची में सूचीबद्ध समस्त प्रस्तावों एवं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत अन्य प्रस्तावों पर विचार-विमर्श एवं अनुमोदन के उपरान्त कार्य परिषद के सदस्य सचिव द्वारा सभी माननीय सदस्यों विशेषकर बाह्य सदस्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए सभी का आभार व धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

अन्त में कार्य परिषद के समस्त माननीय सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापित कर, बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव/ सदस्य सचिव, कार्य परिषद

Registrar  
Uttarakhand Open University  
Haldwani (Nainital)

*Agreed*  
30/9/2019  
कुलपति/अध्यक्ष, कार्य परिषद  
Vice Chancellor  
Uttarakhand Open University  
Haldwani, Nainital (U.K.)